03/12/19 आज पत्रावली मूलदावा के साथ पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र का सारांश यह है कि विवादित आ० क्र० 331, 332, 333, 334, 335, 336, 348, 350 वाके ग्राम कोड़ावास तहसील कुण्डल के स्थित होकर जिनमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं० 1 से 5 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो शामलात के है और पट हिस्से का समस्त शामलात के काश्त करते चले आ रहे है जिसका बेजा कब्जा 36 साल अप्रार्थी नं० 1 से 4 आ० क्र० 336 जो रोड़ से लगती हुई है बिना विधिक तकाजा वर्ष निर्माण करके व अपने हिस्से को बेचान पट्टा करके जबकि सामलाती आराजी के प्रत्येक हिस्सेदार को ईंच ईंच पर कब्जा देना काश्त की अधिकार है आदि-आदि का निवेदन करते हुए कराये जाने विधिक तकाजा तक उक्त विवादित आराजी के नक्शे एवं रिकार्ड की यथास्थिति का निवेदन रहा है एवं ठीक इसी क्रम में अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के जिक्रों का खारिज करते हुए आराजी का अर्सा दराज से बहासी बरवारा होना आपके जवाब में अंकित करते हुए बरवारा अनुसार तभी काश्त कर पाया है तथा प्रार्थी व श्यामलाल पुत्र उदमीराम, आनन्दीराम पुत्रान प्रभु, प्रेमचन्द पुत्र व आराजी सख्या 1 लगायत 4 के हिस्से आ० क्र० 335 व 336 आया हुआ है जिस पर प्रार्थी व प्रभु कर्चारीमान ने क्र० नं० 335 सम्पूर्ण एवं क्र० नं० 336 के अपने हिस्से की आराजी पर चारदिवारी करली है तथा शेष क्र० नं० 336 का शेष रकबा जिसे अप्रार्थीगण के हिस्से आया हुआ है तथा अन्य आराजीयात अन्य अप्रार्थीगण के हिस्से आयी हुई है। जिस अप्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज है उक्त आ० क्र० 336 आबादी क्षेत्र के स्थित तथा खाला गिरदावरी के भी आबादी दर्ज है। उक्त आराजी का बहासी बरवारा होरहा है जो वादी/प्रार्थी किसी भी प्रकार से विधिक बरवारा कराने का अधिकारी नहीं है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड.....मुण्डावर.....

द्वारा अन्तर्गत.....किस्म.....मुकदमा न0.....दिनांक.....

बनाम पत्रावली.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्म की तामील

ऐसी स्थिति में प्रार्थी के हक के सुविधा का सन्तुलन व बैलेंस ऑफ कन्वीनिएंस साबित नहीं होता है तथा कहानी घटनाक्रम अनुसार स्त्री कानूनी कार्यवाही है जो ऐसी स्थिति में प्रार्थी का बेदखल करने का कारण नहीं बनता है तथा प्रार्थी को कोई नाप्रार्थी होने वाली शारीरिक प्रश्न ही पैदा नहीं होती है इसलिए वादी / प्रार्थी किसी भी प्रकार से किसी अप्रार्थीगण को हुण्डी दावी से परेशान करने का अधिकारी नहीं है अपितु करते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को इसी कारण के खारिज किया जाने का अभिकथन किया गया। वकील अप्रार्थीगण की बहस के दौरान बहस पूर्ण की गई। प्रस्तुत शपथपत्र तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। दोनों बहस वकील पार्टी के अपने प्रार्थना पत्र के निर्णय तक निर्माण कार्य रुकवाने जाने तथा खुलवाए जाने को चाहते हुए हिंसा दबाकर निर्माण किये जाने तथा खुलवाए जाने के निर्णय तक निर्माण कार्य रुकवाने जाने तथा विपक्ष के जवाबदावे के चाही एवं गैरजरूरी आबादी का अवलोकन होने का अभिकथन करते हुए खुलवाने के निर्णय तक स्थाई आदेश स्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन रहा। ठीक इसी अनुसार वकील अप्रार्थी के अपने जवाब को दोहराते हुए आबादी दर्ज होकर होने, किसी भी प्रकार दिवानी प्रकृति के तथा उन्मूलन के पूर्व भी प्रार्थी का प्रस्तुत वाद खारिज किया गया। एक ही कारण के बहस तकरार के बाद बहस के बाद वाद प्रस्तुत किये जाने एवं सहवादकारण का पाबन्द नहीं किया जा सकता आदि अभिकथन करते हुए अन्तरिम आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन रहा।

पक्षकारों की धारा पूर्वक सुनवाई व डाक्यूमेंट एवं पत्रावली के सहित अवलोकन से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण होने पाया जाता है किन्तु साबित पाया जाता है और जब प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित होने की स्थिति में सुविधा का सन्तुलन वाला बिन्दु भी प्रार्थी के हक में स्पष्ट रूप से साबित पाया जाता है तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन वाले दोनों बिन्दु ही प्रार्थी के हक में एवं अप्रार्थी के खिलाफ साबित पाये जाने की स्थिति में नाप्रार्थी होने वाली क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के हक में स्पष्ट रूप से साबित होना पाया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर पूर्व के जारी अन्तरिम आदेश को मूल दावा निर्णीत होने तक सम्मुख किया जाता है कि अप्रार्थीगण मूल वाद के निस्तारण तक अन्यथा विधिवत आपसी पात्रों के मौखिक या किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। केवल पुराने जमाने के कच्चे कच्चे के कच्चे मकान मूल दावा पत्रावली रहे। सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Yadav
Date: 2019.12.24 15:22:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: